कार्यालय पुलिस आयुक्त, गुडगाँव।

पोलिसी अस्थाई आदेश न. 4/2015

विषयः— धारा 202 द0प्र0स0 अन्र्तगत प्राप्त जाँचों बारे।

देखने में आया है कि विभिन्न न्यायालयो द्वारा अपराधिक परिवादो की जाँच के लिए 202 द0प्र0स0 के अन्तर्गत संम्बधित प्रबंन्धक थानो को आदेश दिये जाते है। जो प्रबन्धक थाना द्वारा स्वयं/अपने अधीन कर्मचारी से जाँच उपरान्त रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। परन्तु इस जाँचों का प्रवयेक्षण किसी भी स्तर के उच्च अधिकारी द्वारा करने में कोई प्रक्रिया नही अपनाई जाती है। इसलिए धारा 202 द0प्र0स0 के अधीन जाँचों के प्रवेयक्षण हेतू यह सरकुलर पोलिसी अस्थाई आदेश तैयार किया गया है। भविष्य में धारा 202 द0प्र0स0 की जाँच व प्रवेयक्षण प्रक्रिया इस प्रकार होगीः—

जाँचों का रिकार्डः—

प्रत्येक थाना में धारा 202 द0प्र0स0 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली प्रत्येक परिवाद के रिकार्ड हेतू संलग्न प्रर्फोमा (क) के अनुसार रजिस्टर तैयार किया जाएगा जो वार्षिक नम्बर के आधार पर चलाया जाएगा तथा जाँच रिपोर्ट के लिए एक रनिंग फाईल रखी जाएगी जिसमें प्रत्येक जाँच रिपोर्ट क्रमाँकनुसार रखी जाएगी।

जाँच प्रक्रियाः—

1. परिवादों की जाँच प्रवन्धक थाना स्वयं अथवा अपनी निगरानी में अतिरिक्त प्रवन्धक थाना/प्रभारी चौकी स्तर के अधिकारी से ही कराई जावे।
2. प्रबन्धक थाना यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवादों की जाँच की आड़ मे कोई भी जाँच अधिकारी किसी भी पक्ष पर नाजायज दबाव न बनायें।
3. परिवादों की जाँच तथ्यों एवम् सच्चाई के आधार पर दोनों पक्षो को शामिल जाँच करके निष्पक्ष की जावे।
4. परिवाद की जाँच जिस अधिकारी ने पहले की हो, उसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी से जाँच कराई जाये।

प्रवेयक्षण कार्यावाहीः—

सभी प्रवन्धक थाना इन परिवादों के विवरण मासिक डायरी के साथ संलग्न प्रफोर्मा (ख) के अनुसार उच्च अधिकारियों को प्रषित करेगें। सभी पुलिस उपायुक्त व सभी सहायक पुलिस आयुक्त इन परिवादो की जाँच कार्यवाही का प्रवेयक्षण करते हुए, सुनिश्चित करेंगे कि इन परिवादों की जाँच रिपोर्ट सही समय पर निश्चित अवधि में सम्बन्धित कोर्ट में प्रस्तुत हों।

(नवदीप सिंह विर्क)
पुलिस आयुक्त,
गुड़गाँव।

क्रमांक /प्रवाचक दिनांक

इसकी एक—एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जा रही है।

1. संयुक्त पुलिस आयुक्त, गुडगांव।
2. सभी पुलिस उपायुक्त, गुडगांव।
3. सभी सहायक पुलिस आयुक्त, गुडगांव।
4. सभी प्रबन्धक थाना, गुडगांव।

प्रफोर्मा (क)

धारा 202 द0प्र0स0 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली परिवादों का रजिस्टर

क्रम संख्या व प्राप्ती तिथि	
न्यायालय का नाम व आदेश तिथि	
परिवादी का नाम, पता	
प्रतिवादी का नाम, पता	
आरोपो का संक्षिप्त सार	
जाँच प्रस्तुत करने हेतू निर्धारित तिथि	
जाँच अधिकारी का नाम व पद	
जाँच का संक्षिप्त निर्ष्कष	
जाँच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने की तिथि	

प्रफोर्मा (ख)

जिला....................

थाना....................

धारा 202 द0प्र0स0 के अर्न्तगत लम्बित जाँचों की मासिक रिपोर्ट

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम व आदेश तिथि	परिवादी का नाम, पता	प्रतिवादी का नाम, पता	आरोपो का संक्षिप्त सार	जाँच अधिकारी का नाम व पद	जाँच की वर्तमान स्थिति

प्रबन्धक थाना के हस्ताक्षर·